

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ.3(178)नवि/3/2012

जयपुर, दिनांक:- 2 MAR 2013

आदेश

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की पूर्ववर्ती धारा 90-बी की उपधारा (6) के अनुसार धारा 90-बी (3) के अन्तर्गत भूमि समर्पित करने वाले व्यक्ति को ही नगर निकाय द्वारा पट्टा दिये जाने के प्रावधान थे जबकि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के बिन्दु संख्या 12 के प्रावधानों में खातेदार/डवलपर्स के द्वारा नामिति (Nominee) को भी पट्टा दिये जाने का उल्लेख किया हुआ है।

कुछ नगर निकायों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि धारा 90-बी के अन्तर्गत पारित आदेश के तहत नियमन की स्वीकृति किये जाने के उपरान्त क्या खातेदार, जिसने भूमि समर्पित की है, के नामिति (Nominee) को सीधे ही नगर निकाय द्वारा पट्टा दिया जा सकता है ? इस बिन्दु पर विधि विभाग की राय प्राप्त की गई है जो निम्न प्रकार है :-

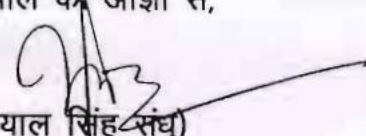
“राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी, जो कि अब विलोपित हो गई है, के तहत खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि कृषि भूमि से अन्यथा प्रयोग करते हुए स्थानीय निकाय को समर्पित की जाती है, और उक्त सम्पत्ति का पट्टा यदि समर्पणकर्ता के जीवनकाल में ही नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सीधा नामिति (Nominee) को आवंटित किया जाता है तो यह अन्तरण (Transfer) की श्रेणी में आयेगा। और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी के प्रावधानों के अनुसार Nominee को सीधे ही स्थानीय निकायों द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।”

जहां तक धारा 90-ए एवं इनके तहत बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग के लिए अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के इस विषय में प्रावधानों का प्रश्न है वे धारा 90-बी के प्रावधानों से भिन्न हैं। धारा 90-ए की उप-धारा (7) के उप-खण्ड (ख) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 11(3) तथा 19(1) के अनुसार भूमि का आवंटन/नियमन किया जा कर पट्टा-विलेख ऐसे व्यक्ति, जिसे धारा 90-ए के तहत अनुज्ञा जारी की गयी है या उसके उत्तराधिकारी (Successor), समनुदेशिती (Assignees) अन्तरिती (Transferees) के पक्ष में किया जायेगा।

इस प्रकार धारा 90-बी(3) में पारित आदेशों के तहत नियमन/आवंटन के प्रकरणों में पट्टा केवल उस व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जा सकता है जिसने खातेदारी अधिकार समर्पित किये हो जबकि धारा 90-ए तथा इसके अधीन बनाये गये नये नियमों के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा के तहत पट्टा-विलेख खातेदार (जिसे अनुज्ञा जारी की गयी है) को या उसके उत्तराधिकारी (Successor), समनुदेशिती (Assignees) या अन्तरिती (Transferees) के पक्ष में जारी किया जा सकता है।

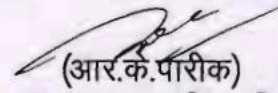
अतः सभी संबंधित को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदीपाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव-(द्वितीय/तृतीय)/शासन उप सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार समस्त संबंधित दगे अवगत करावें।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
10. प्रभारी, सीएमआईआर, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।



(आर.क.पारीक)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय